

न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-01 भीलवाड़ा राज.

-नोटिस-

क्रमांक: 03.

दिनांक: 20-4-2021

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 के अनुसरण में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक: 183/स्था/2021 दिनांक 19.04.2021 जारी परिपत्र के अनुसरण में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों यथा जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड मामले, व्यादेश/स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहितागत कथन, मृत्यु कालीन कथन आदि ही सुनवाई के लिए जाएंगे।

अन्य ऐसे मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हे उनको स्थगित कर, **comman dates** दी जाकर **cis** अद्यतन करना है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय एवं श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक के कार्यादिवसों में सुनवाई हेतु नियत नियमित दिवानी, विविध दिवानी, (अंतरिम व्यादेश/स्थगन मामलों के अलावा), निष्पादन प्रार्थना पत्र, नियमित आपराधिक, विविध आपराधिक (जमानत व सुपुर्दगी मामलों के अलावा) परिवार आदि सभी मामलों में निम्नानुसार के अनुसार आगामी दिनांक नियत की जाती है-

क्र.स.	पूर्व नियत पेशी	दीवानी /निष्पादन मामले	अपराधिक मामलों	
			जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।	अन्य समस्त आपराधिक मामलों
01.	20.04.2021	18.05.2021	03.05.2021	01.06.2021
02	22.04.2021	19.05.2021	05.05.2021	02.06.2021
03	23.04.2021	20.05.2021	06.05.2021	03.06.2021
04	26.04.2021	21.05.2021	07.05.2021	04.06.2021
05	27.04.2021	24.05.2021	10.05.2021	05.06.2021
06	28.04.2021	25.05.2021	11.05.2021	07.06.2021
07	29.04.2021	26.05.2021	12.05.2021	08.06.2021
08	30.04.2021	27.05.2021	13.05.2021	09.06.2021
09	01.05.2021	28.05.2021	15.05.2021	10.06.2021
10.	03.05.2021	29.05.2021	17.05.2021	11.06.2021
11	24-4-2021	17-5-2021	07-5-2021 -	14-6-2021

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
प्रस्तुतकार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 भीलवाड़ा राज.
भीलवाड़ा (राज.)